न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

पीठासीन अधिकारी : **सत्येन्द्र सिंह चौहान, आर.जे.एस**
प्रकरण संख्या : **1436/2015 रै.फौ.**
सी.आई.एस. नं. : **131/2020**
निर्णय दिनांक : **30.06.2026**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**109/2009**, **पीएस हरमाड़ा**, जिला जयपुर, राज.
अपराध अन्तर्गत धारा **3/25 आयुध अधिनियम**

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश शर्मा, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	**01. विशाल यादव पुत्र श्री सुरेश यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी मौहल्ला किला, पीएस बाडी, जिला धोलपुर।** **02. नरेश सिंह तोमर पुत्र श्री कचन सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी सन्त नगर रोड़, महाराज बाग, पीएस बाडी, जिला धोलपुर। (मफरूर)** **03. कुश कुमार उर्फ लहोरिया पुत्र श्री रमेश चंद, उम्र 38 वर्ष, निवासी गुधेनिया पाडा, पीएस सर मथूरा, धोलपुर। (मफरूर)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री **राहुल कुमार यादव**

B

अपराध की दिनांक		**03/07/09**
एफ.आई.आर. की दिनांक		**03/07/09**
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक		**28-05-2009**
आरोप सुनाए जाने की दिनांक		**08/05/19**
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		**30.06.2026**
निर्णय सुनाने की दिनांक		**30-06-2026**
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	**-**

C

अभियुक्तगण/अभियुक्तगण का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी	प्रथम बार जमानत	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या	दण्डादेश या परीविक्षा	अभिरक्षा में बिताई

		की दिनांक	पर बाहर आने की दिनांक		दोषमुक्त	आदेश का विवरण	अवधि
01	विशाल यादव	–	–	3/25 आयुध अधिनियम	दोषसिद्ध	परीविक्षा का लाभ	–

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) <u>अभियोजन साक्षी</u>

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	विजय कुमार	घटना की ताईद
PW-2	महेन्द्र सिंह	पुलिस गवाह
PW-3	पूरणमल	नक्शा मौका की ताईद
PW-4	मणिराम	नक्शा मौका की ताईद
PW-5	बंशीधर	अनुसंधान अधिकारी
PW-5	निर्मल कुमार	पुलिस गवाह
PW-6	रामसिंह	घटना की ताईद
PW-7	धर्मवीर सिंह	रिपोर्टकर्ता

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) <u>अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श</u>

क.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	प्र.पी. 1	पुलिस बयान विजय सिंह
2	प्र.पी. 2	फर्द चैकिंग एवं जब्ती
3	प्र.पी. 3	फर्द गिरफ्तारी विशाल
4	प्र.पी. 4	फर्द गिरफ्तार कुश कुमार
5	प्र.पी. 5	फर्द गिरफ्तारी नरेश
6	प्र.पी. 6	नक्शा मौका
7	प्र.पी. 7	अभियोजन स्वीकृति

8	प्र.पी. 8	फर्द ईतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम विशाल
9	प्र.पी. 9	फर्द ईतला 27 साक्ष्य अधिनियम
10	प्र.पी. 10	फर्द ईतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम कुश
11	प्र.पी. 11	चाक एफआईआर
12	प्र.पी. 11	प्रभारी आर्मोरर को जब्तशुदा हथियारों का निरीक्षण बाबत पत्र
13	प्र.पी. 12	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
14	प्र.पी. 13	मजमून रिपोर्ट
15	प्र.पी. 14	नकल रपट रोजनामचा आम
16	प्र.पी. 17	मालखाना रजिस्टर
17	प्र.पी. 18	प्लास्टिक की थैली जिसके उपर चिटचस्पा
18	प्र.पी. 18ए	प्लास्टिक की थैली में चिटचस्पा
19	प्र.पी. 19	प्लास्टिक की थैली जिसके उपर चिटचस्पा
20	प्र.पी. 19ए	प्लास्टिक की थैली में चिटचस्पा
21	प्र.पी. 20	प्लास्टिक की थैली जिसके उपर चिटचस्पा
22	प्र.पी. 20ए	प्लास्टिक की थैली में चिटचस्पा

–::निर्णय::– **दिनांक 30.06.2026**

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी धर्मवीर सिंह ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि एसएचओ धर्मवीर सिंह मय जाब्ता दिनांक 07.03.2009 को समय 03.45 पीएम पर जरिये मुखबीर की सूचना पर लोहा मंडी तिराहे पहुंचे जहां पर सीकर की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर तीन लड़के बैठे हुए आते हुए दिखाई दिये जो पास आने पर बावर्दीपुलिस को देख कर चालक ने मोटरसाईकिल वापस घुमा कर भागने की कोशिश की, जिनको जाब्ता की मदद से रोक कर निरूद्ध कर चैक किया व नाम पता पूछा तो अपना नाम विशाल यादव बताया जिसकी पहनी हुई पेन्ट के सामने शर्ट के नीचे एक पिस्टल मेड ईन चाईना मेग्जीन वाला लोहे का जिसके हत्थे पर प्लास्टिक का

कवर लगा हुआ है। दूसरे ने अपना नाम नरेश सिंह बताया जिसकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की तरफ ओर में एक देशी कट्टो लोहे की नाल व पितल का हत्था जिसके दोनों तरफ लकड़ी लगी हुई है। तीसरे ने अपना नाम कुश कुमार बताया जिसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में 2 कारतूस मिला जिसके पेन्दे पर केएम 7.65 लिखा हुआ है जो जिन्दा है। उक्त तीनों को हथियारों के रखने व परिवहन करने बाबत लाईसेंस पूछा तो नहीं होना बताया............ इत्यादि।

02. उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर संख्या 109/2009 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया गया।

03. प्रकरण का अभियुक्त नरेश कुमार को आदेशिका दिनांक 26.06.2019 व अभियुक्त कुश कुमार को आदेशिका दिनांक 07.08.2021 को मफरूर घोषित किया गया। अभियुक्त विशाल की हद तक प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

04. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप प्रथम दृष्ट्या अपराध बनना पाये जाने पर उक्त अपराध में अभियुक्त को आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अंतगर्त धारा 313 दण्ड संहिता 1973 के तहत अभियुक्त विशाल के बयान मुलजिम लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य को गलत बताकर, साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करने से इनकार किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई।

07. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 3/25 आयुध अधिनियम संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को

आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

08. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध कर कथन किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त को झूंठा फंसाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

09. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, सुसंगत अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

10. न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–

(1) क्या आरोपित अभियुक्त ने दिनांक 07.03.2009 को समय 03.45 पीएम या इसके लगभग लोहा मंडी तिराहे के पास, हरमाड़ा में उसके कब्जे से पहनी हुई पेन्ट के सामने शर्ट के नीचे एक पिस्टल मेड इन चाईना मैगजीन वाला लोहे का जिसके हत्थे पर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ बरामद किया। जिस बाबत उसके पास कोई लाईसेंस नहीं था ?

(2) यदि हां, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जाये ?

11. पत्रावली के अवलोकन से इस प्रकरण में सर्वप्रथम जब्ती अधिकारी पी. डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह की साक्ष्य का अवलोकन करे तो उसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 07.03.2009 को थाना हरमाड़ा में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। वास्ते तस्दीक समय 3.30 पीएम पर लोहा मण्डी तिराहे पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। 3.45 पीएम पर सीकर रोड की तरफ से एक बिना नंबरी मोटरसाईकिल से तीन व्यक्ति आए जो पुलिस को देखकर वापस मोटरसाईकिल लेकर भागने लगे। जिनको जाब्ते से रोक लिया। नाम पते पूछे तो मोटरसाईकिल चलाने वाले लड़के ने अपना नाम विशाल यादव, उसके पीछे बैठे लड़के ने अपना नाम नरेश सिंह तथा तीसरे लड़के ने अपना नाम कुश कुमार बताया। जाब्ते के समक्ष तीनों व्यक्तियों की तलाशी ली तो विशाल यादव की तलाशी में एक पिस्टल सामने की तरफ पेंट की आंट में मिली, जिस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। नरेश सिंह की तलाशी में एक देशी कट्टा सामने की तरफ पेंट की आंट में मिला। तीसरे व्यक्ति कुश कुमार की तलाशी में उसकी पेंट की जेब में दो कारतूस 7.65 एमएम के मिले। उक्त तीनों

लड़के धौलपुर के रहने वाले लड़के थे। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द चैकिंग एवं जब्ती पिस्टल, देशी कट्टा व कारतूस प्रदर्श पी–2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम विशाल को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी नरेश प्रदर्श पी–5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी कुश कुमार प्रदर्श पी–4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रपट रोजनामचा रवानगी प्रदर्श पी–14 है, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–17 है। जब्तशुदा माल तीन कपड़े की थैलियों में सील्डशुदा अवस्था में पेश हुआ, जो आर्टिकल 1 लगायत 3 है। आर्टिकल 1 की थैली की सील को तोड़कर अंदर एक प्लास्टिक की खुली हुई थैली मिली जिसके उपर चिटचस्पा जो प्रदर्श पी–18 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्लास्टिक की थैली में चिटचस्पा की फोटोप्रति प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी–18ए है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल 2 की थैली की सील को तोड़कर अंदर एक प्लास्टिक की खुली हुई थैली मिली जिसके उपर चिटचस्पा जो प्रदर्श पी–19 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्लास्टिक की थैली में चिटचस्पा की फोटोप्रति प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी–19ए है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल 3 की थैली की सील को तोड़कर अंदर एक प्लास्टिक की खुली हुई थैली मिली जिसके उपर चिटचस्पा जो प्रदर्श पी–20 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्लास्टिक की थैली में चिटचस्पा की फोटोप्रति प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी–20ए है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त थैली में दो जिंदा कारतूस 7.65 एमएम हैं जो आर्टिकल 6 व 7 हैं। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि नक्शा मौका कब बनाया उस पर समय अंकित नहीं है। घटना स्थल पर तीनों लड़के की तलाशी उसके द्वारा ही ली गई थी। प्रदर्श पी2 में किसी स्वतं गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। इस सुझाव को सही बताया है कि प्रदर्श पी18 में उसने आर्मोरर के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। पिस्टल का मैकेनिकल मुआयना करवाने आईओ द्वारा जिला आर्मोरर से करवाया गया था। उस दौरान आर्मोरर द्वारा सील को तोड़कर उसके सील लगाई थी। इस प्रकार पी.डब्ल्यू 7 अपनी साक्ष्य में बताता है कि

दिनांक 07.03.2009 को उसे हरिओम एचसी व राधेश्याम एफसी ने सूचना दी कि तीन व्यक्ति एक बिना नंबरी मोटरसाईकिल पर लोहा मंडी से खोरा बिसल इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे जिनके पास अग्निअस्त्र है। सूचना पर वह राधेश्याम एफसी, रामसिंह एफसी, महेन्द्र एफसी तथा हरिओम एचसी 03.15 पीएम पर थाने से रवाना हुये। इस प्रकरण में जाब्ते के गवाह **महेन्द्र सिंह पी. डब्ल्यू 2** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 07.03.2009 को पुलिस थाना हरमाड़ा में कॉनि. के पद पर तैनात था। वास्ते तस्दीक समय 3.30 पीएम पर लोहा मण्डी तिराहे पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। 3.45 पीएम पर सीकर रोड की तरफ से एक बिना नंबरी मोटरसाईकिल से तीन व्यक्ति आए जो पुलिस को देखकर वापस मोटरसाईकिल लेकर भागने लगे। जिनको उन लोगों ने रोक लिया। एसएचओ साहब ने नाम पूछा व तलाशी ली तो उसने अपना नाम विशाल बताया जिसकी पेंट के सामने शर्ट के नीचे छुपाकर रखा हुआ एक पिस्टल मेड इन चाइना मैग्जीन वाला मिला। दूसरे ने अपना नाम नरेश सिंह बताया, जिसके पास सामने की तरफ पेंट में छुपाकर रखा हुआ देशी कट्टा मिला। तीसरे ने अपना नाम कुश कुमार बताया। जिसकी पेंट की दाहिनी जेब में दो जिंदा कारतूस मिले, जिनके पैंदे पर केएम 7.65 एम लिखा हुआ था। तीनों को हथियार रखने के संबंध में लाइसेंस बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। फर्द चैकिंग एवं जब्ती एक पिस्टल मेड इन चाइना, देशी कट्टा एवं दो कारतूस व बिना नंबरी हीरो होण्डा मोटरसाईकिल को बतौर वजह सबूत जब्त किया जो फर्द प्रदर्श पी–2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तीनों मुल्जिमान को जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 लगायत पी–5 गिरफ्तार किए, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह भी इस गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत कोई कथन नहीं किया। मात्र यही कथन किया कि प्रदर्श पी2 में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। **रामसिंह पी.डब्ल्यू 6** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 07.03.2009 को पुलिस थाना हरमाडा में कॉनि. के पद पर तैनात था। उस दिन समय 3.15 पीएम के आसपास थानाधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि उनके पास कोई हथियारों की इत्तिला है कि तीन लडके मोटरसाईकिल पर

आ रहे हैं जो लोहा मण्डी होते हुए खोराबिसल की तरफ जायेंगे। तब वह, एसएचओ राधेश्याम, एक हैड कॉनि. जो डीएसबी से आया हुआ था, जिसका नाम हरिओम था। सरकारी जीप थी, जिसका चालक विजय सिंह था, वे सूचना स्थल जेडीए चौरहा लोहा मण्डी तिराहे पर पहुंचे और नाकाबंदी की तभी सामने 3.30 के आसपास एक मोटरसाईकिल आई, जिस पर तीन लडके आए। मोटरसाईकिल हीरो होण्डा थी। पुलिस जाब्ते को देखकर मोटरसाईकिल घुमाने लगे, तब जाब्ते ने रोका। फिर रोककर नाम पते पूछे तो मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम विकास बताया। जिसकी धर्मवीर सिंह ने तलाशी ली तो पेंट के सामने शर्ट के नीचे एक पिस्टल मेड इन चाइना मिली, जो लोहे की थी और प्लास्टिक का हत्था लगा हुआ था। दूसरे ने अपना नाम नरेश बताया। नरेश के पास पेंट के सामने शर्ट के नीचे एक देशी कट्टा मिला, जिसके लोहे की नाल व पीतल का हत्था था। तीसरे का नाम कुश था। जिसकी पेंट की दाहिनी जेब से दो राउण्ड मिले, जिनके पेंदे में 7.65 लिखा हुआ था। उक्त तीनों शख्सों से अवैध हथियार रखने के लाइसेंस बाबत पूछा गया तो तीनों के पास लाईसेंस नहीं था। तीनों को अलग अलग थैली में रखकर अलग अलग जब्त किया, अलग अलग मौके पर सील्ड मोहर किया। सील्ड मोहर कर क्रमशः मार्का ए,बी,सी अंकित किया। गिरफ्तारशुदा मुलजिमान को हवालात के रखा गया तथा जब्तशुदा माल को मालखाने में जमा कराया गया। उक्त समस्त जब्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही मौके पर ही की गई। फर्द जब्ती चैकिंग व जब्ती पिस्टल, देशी कट्टा व कारतूस प्रदर्श पी–2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान विशाल, कुश कुमार, मुलजिम नरेश सिंह, क्रमशः प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–5 है, जिन पर प्रत्येक पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि जिस मोटरसाईकिल पर तीन जने गये थे उसको एसएचओ साहब ने रूकवाया था। उस दिन गलती से उसके बयानों में मुल्जिम का नाम विकास लिखवाया दिया जबकि उसका नाम विशाल था तथा अन्य कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत नहीं किये हैं। इस प्रकरण में चालक विजय कुमार भी **पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह** के साथ गया जो जाब्ते में

आया था जो पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 07.03.2009 को पुलिस थाना हरमाड़ा पर चालक कॉनि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह, राधेश्याम, रामसिंह, महेन्द्र सिंह व एसएचओ साहब स्वयं मय जाब्ता थाने से जीप लेकर लोहा मंडी तिराहे पर गए। वे 3.30 बजे लोहा मंडी तिराहे पर पहुंचे वहां पर एसएचओ साहब ने नाकाबंदी करवाई। एसएचओ साहब ने बताया कि एक मोटरसाईकिल आएगी, जिसमें 3 व्यक्ति होंगे, जिसमें तीन संदिग्ध व्यक्ति होंगे, जिनके पास हथियार होने की संभावना है। वह नाकाबंदी के समय लोहा मंडी तिराहे के पास कर रखी थी। नाकाबंदी के समय एक मोटरसाईकिल बिना नंबर की सीकर रोड की तरफ से आती हुई दिखाई दी। समय 3.45 पीएम बजे हो रहे थे। उक्त मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति सवार थे। जैसे ही नाकाबंदी को देखा तो वे मोटरसाईकिल को वापस घुमाने लग गए। इंचार्ज साहब व उन्होंने उसी समय जाब्ता की मदद से वहां पर ही पकड़ लिया। एसएचओ साहब ने उसके सामने उनका नाम पता पूछा तो मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम विशाल यादव बताया तो उसकी तलाशी ली तो उसके पास चाईनिज की पिस्तौल मिली, जिसको विशाल यादव ने पेंट के नीचे सामने शट के नीचे दबा रखी थी। दूसरे का नाम पूछा तो उसने अपना नमा नरेश बताया। नरेश को चैक किया तो पेंट में सामने शर्ट के नीचे देसी कट्टा दबा रखा था। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि उसके बयान पत्रावली देखकर लिखवाये हैं तथा जब्ती की कार्यवाही में उसे गवाह नहीं बनाया गया है। अंगूली साईज के थे छोटे कारतूस थे जो बादामी रंग के थे। इस प्रकरण का अनुसंधान पी.डब्ल्यू 5 बंशीधर के द्वारा किया गया है जिसने घटना स्थल का नक्शा मौका पी.डब्ल्यू 6 रामसिंह, पी.डब्ल्यू 3 पूरणमल, पी.डब्ल्यू 4 मणिराम की उपस्थित में बनाया। पूरणमल पी.डब्ल्यू 3 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 15.03.2009 को थाना हरमाड़ा पर कॉनि. के पद पर तैनात था। उस दिन एएसआई बंशीधर अनुसंधान अधिकारी ने उसके, एसएचओ धर्मवीर व सिपाही मनीराम के समक्ष लोहामण्डी जेडीए तिराहा का नक्शा मौका अवैध हथियार बरामदगी के मुकदमे का बनाया था, जो प्रदर्श पी–6 है, जिस

पर ए से बी स्थान पर उसके साईन हैं। **पी.डब्ल्यू 4 मणिराम** जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 15.03.2009 को वह पीएस हरमाड़ा में सिपाही के पद पर तैनात था। उस दिन उसके समक्ष लोहामण्डी में तिराहे का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 अवैध हथियार जब्ती के प्रकरण में बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा **पी.डब्ल्यू 5 निर्मल कुमार** जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 23.03.2009 को थाना हरमाड़ा में मालखाना एलसी के रूप में कार्यरत था। मालखाना एचएम रघुवीर सिंह एचसी 125 ने एसएचओ साहब के द्वारा लिखी एक तहरीर नंबर 109/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जब्त सील्ड पैकेट मार्का ए,बी,सी उसको आरमोर साहब से जांच हेतु दिए गए थे। थाने से तीनों पैकेट लेकर वह पुलिस लाईन जयपुर आरमोर के पास गया। आरमोर श्री लक्ष्मण सिंह ने उक्त तीनों पैकेट की सीलमोहर हथियारों का निरीक्षण कर उन्हें अपनी सील द्वारा सीलमोहर कर मय हथियारों की रिपोर्ट के उसे दिए, जिसे वह उसी दिन लेकर थाना आया और एचएम मालखाना को तीनों पैकेट मय रिपोर्ट पेश की। आरमोर के द्वारा बाद अवलोकन जब्तशुदा हथियार को सीलमोहर करके उसे वापस सुपुर्द की थी। आरमोर रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं एवं एक्स,बाई,जेड स्थान पर नमूना सील है व सी से डी लक्ष्मण सिंह के हस्ताक्षर हैं, ये उसके सामने किए थे। मालखाना रजिस्टर की असल कॉपी प्रदर्श पी–12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मालखाना इंचार्ज श्री रघुवीर सिंह के हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि जब्तशुदा माल को आर्मोरर के पास ले जाने की तहरीर पत्रावली में नहीं है। इस प्रकरण में आर्मोरर **लक्ष्मण सिंह पी.डब्ल्यू 6** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 23.03.2009 को पुलिस लाईन जयपुर शहर में हैड कानि. आर्मोरर के पद पर तैनात था उस दिन पुलिस थाना हरमाड़ा से मुकदमा नंबर 109/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में तीन पैकेट मार्का ए बी सी मय श्रीमान एसएचओ साहब की तहरीर के श्री निर्मल कुमार कानि. 2926 पीएम हरमाड़ा से लाकर पेश किया। तीनों पैकेटो पर सील आएसएस की थी व सही हालत में भी। पैकेट मार्का ए

को खोलकर देखा गया जिसमें एक लोकल मेड पिस्टल निकली जो हथियार की श्रेणी में आती है। इस पिस्टल का एक्शन मैकेनिज्म सही कार्य कर रहा है जो फायर करने योग्य है। पैकेट मार्का बी में एक लोकल मेड देशी कट्टा निकला जो हथियार की श्रेणी में आता है। देशी कट्टे का एक्शन मैकेनिज्म सी कार्य कर रहा है व फायर करने योग्य है। पैकेट मार्का सी में दो कारतूस निकले जो एमूनेशन की श्रेणी में आते हैं, दोनों कारतूस केएफ के बने है। पिस्टल पैकेट मार्का ए से फायर किया जा सकता है, दोनों कारतूस जिंदा है बाद निरीक्षण पिस्टल व देशी कट्टे की पहचान के लिए बाई तरफ एल का स्टैम्प किया गया एवं उसी प्लास्टिक की पोलथिन में डालकर कपड़े के पैकेट में डालकर उसकी सील एलएसएस से सीलमोहर कर आमदा कानि. निर्मल कुमार को मय निरीक्षण रिकॉर्ड व पैकेट मार्का ए बी सी पीएस हरमाड़ा को सुपुर्द किया। उसकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी11 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व एक्स, वाई, जेड स्थान पर नमूना सील अंकित है। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि पैकेट उसके पास निर्मल कुमार के द्वारा लाया गया था। उसके द्वारा पिस्टल से फायर करके नहीं देखा तथा इस प्रकरण में अभियुक्त विशाल के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट **कुलदीप पी.डब्ल्यू 7** के रूप में परीक्षित हुये है जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 28.04.2009 को जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर उत्तर की पत्रावली के अवलोकन के पश्चात विशाल यादव, नरेश, खुश कुमार के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का आदेश धारा 39 आर्म्स एक्ट में सक्षम अधिकारी होने के नाते उसके द्वारा जारी किया गया था। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर के द्वारा पेश पत्रावली व आर्मोरर की रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन करके उक्त आरोपीगणों के खिलाफ उक्त धारा में अभियोजन स्वीकृति जारी की थी। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि उसने अभियोजन स्वीकृति पुलिस अधीक्षक की पत्रावली के अवलोकन तथा आर्मोरर के अवलोकन के पश्चात दी थी तथा

कानून के प्रावधानों का अवलोकन करने के पश्चात ही समुचित कारणों का उल्लेख करते हुये स्पिकिंग आदेश पारित किया था। यद्यपि आर्मोरर रिकॉर्ड में पिस्टल मेड इन चाईना नहीं लिखी है तथा अन्य कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत नहीं किया तथा आर्मोरर को पत्रावली में हथियारों को सील कर उसे वापस लौटा दिया तथा इस प्रकरण का अनुसंधान **पी.डब्ल्यू 5 बंशीधर** के द्वारा किया गया जिसने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 07.03.2009 को थाना हरमाड़ा में सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसे मुकदमा नंबर 109 ⁄ 2009 अंतर्गत धारा 3 ⁄ 25 आयुध अधिनियम की पत्रावली वास्ते अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान फर्दात जब्ती व गिरफ्तारी का अवलोकन किया गया और शामिल पत्रावली की गई। पृथक पृथक गवाहों के बयान लेखबद्ध किए गए। घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया, जो प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिमान से तफ्तीश की गई। प्रकरण में जब्तशुदा पिस्टल व कारतूस का आरमोर से परीक्षण करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। श्रीमान जिलाधीश महोदय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई, जो प्रदर्श पी–7 है। मुलजिम से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सूचना प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गई, जो प्रदर्श पी–8 लगायत 10 है, जिन पर ए से बी स्थानों पर उसके व सी से डी स्थान पर अभियुक्तगणों के हस्ताक्षर अंकित हैं। मालखाना की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद अनुसंधान मुलजिम विशाल, नरेश व कुश के विरुद्ध अपराध धारा 3 ⁄ 25 आयुध अधिनियम पाया जाने पर पत्रावली एसएचओ साहब को प्रस्तुत की गई। दौराने जिरह इस गवाह द्वारा कथन किया गया कि उसने हथियारों को खोलकर नहीं देखा। एफआईआर के आधारों पर ही उसके द्वारा अभियोजन स्वीकृति चाही थी। जिला कलेक्टर से अभियोजन स्वीकृति दिनांक 28.04.2009 को प्राप्त हुई तथा अन्य कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत नहीं किये।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से आई संपूर्ण साक्ष्य का एक साथ विश्लेषण करे तो इस प्रकरण में अभियुक्त विशाल पर आरोप के संबंध में जब्तीकर्ता अधिकारी पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह अपनी साक्ष्य में कथन करता है

कि दिनांक 07.03.2009 को वह पुलिस थाना हरमाड़ा में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन हरिओम हैड कानि. व राधेश्याम एफसी ने उसे सूचना दी कि तीन व्यक्ति एक बिना नंबरी मोटरसाईकिल पर, जो कुछ देर में लोहा मण्डी से खोराबिसल इण्डस्ट्री एरिया की तरफ जायेंगे, जिनके पास अग्निअस्त्र है, जिस पर पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह मय जाप्ता हरिओम सिंह एचसी, राधेश्याम एफसी, रामसिंह एफसी, महेन्द्र एफसी के साथ 3:15 पीएम पर थाने से रवाना होते हैं। इस संबंध में नकल रोजनामाच आम रपट दिनांक 07.03.2009 की शामिल पत्रावली है, जिसका अवलोकन किया जावें तो मजमून रिपोर्ट प्रदर्श पी–14 है, जिसके अनुसार हरिओम एचसी 2245 मय राधेश्याम 3137 के एस.पी. साहब जयपुर शहर उत्तर से हाजिर थाना हरमाड़ा आये, जिन्होंने थानाधिकारी पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह को यह सूचना दी कि उनके मुखबीर खास ने सूचना दी है कि तीन लड़के बिना नम्बरी हिरो होण्डा स्टनर मोटरसाईकिल से लोहा मण्डी बैनाड़ रेल्वे फाटक होते हुए सरणा डूंगर फैक्ट्री एरिया में जाएंगे, जिनके पास हथियार है। जिस पर जब्तीकर्ता पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह के साथ जाब्ते के गवाह पी.डब्ल्यू 2 महेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू 6 रामसिंह तथा पी.डब्ल्यू 1 विजय कुमार पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह के साथ में सवा तीन बजे थाना हरमाड़ा से रवाना होते हैं। तीनों ही साक्षी अपनी साक्ष्य में बताते हैं कि 3:30 बजे लोहामण्डी तिराहे पर पहुंचे। जहां नाकाबंदी के समय एक मोटरसाईकिल बिना नंबर की सीकर रोड़ की तरफ से आती हुई दिखाई दी। समय करीब 3:45 पीएम पर मोटरसाईकिल पर सवार तीन व्यक्ति नाकाबंदी को देखकर मोटरसाईकिल घुमाने लग गये। जाप्ते की मदद से पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह मोटरसाईकिल चलाने वालों को रोका। मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम विशाल यादव बताया। साथ ही पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह अपनी साक्ष्य में बताता है कि जब उनको रोककर तलाशी ली गयी तो विशाल यादव की तलाशी से एक पिस्टल, जो पेंट के नीचे सामने शर्ट के नीचे दबा रखी थी, जो चाईनीज मेग्जीन वाला था। दूसरे व्यक्ति नरेश से देशी कट्टा मिला तथा तीसरे व्यक्ति कुश कुमार की तलाशी में उसकी दाहिनी जेब में दो जिंदा कारतूस 7.65 एमएम के मिले। जिनको रखने के लाईसेंस के संबंध

में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई लाईसेंस नहीं होना बताया गया, जिस पर पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह के द्वारा पी.डब्ल्यू 2 महेन्द्र सिंह तथा पी.डब्ल्यू 6 रामसिंह को गवाह मामुर कर उनकी उपस्थिति में अभियुक्त विशाल की तलाशी में उसके पास से पिस्टल बरामद हुई, जिस पर चाईनीज लिखा हुआ था। उक्त जब्ती प्रदर्श पी–2 है, जिसकी ताईद दोनों ही साक्षी पी.डब्ल्यू 2 महेन्द्र सिंह व पी.डब्ल्यू 6 रामसिंह ने अपनी साक्ष्य में की है। दोनों ही गवाह इस बात की ताईद करते हैं कि धर्मवीर सिंह ने जब चालक की तलाशी ली तो पेंट के सामने शर्ट के नीचे एक पिस्टल मेड इन चाईना मिली, जो लोहे की थी और प्लास्टिक का हत्था लगा हुआ था। अभियुक्त से उसके लाईसेंस के बारे में पूछे जाने पर कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। उसे जरिये प्रदर्श पी–3 जब्तीकर्ता अधिकारी पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसकी भी ताईद पी.डब्ल्यू 2 महेन्द्र सिंह व पी.डब्ल्यू 6 रामसिंह ने अपनी साक्ष्य में की है। दोनों ही साक्षी इस बात की ताईद करते हैं कि पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह के द्वारा उनकी उपस्थिति में अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस प्रकरण में जिस स्थान से अभियुक्त के पास से उक्त पिस्टल बरामद हुई, वह नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया गया। जिसमें एक्स स्थान वह स्थान है जहां लोहामण्डी जाने वाली रोड़ पर है। जहां पर अभियुक्त के पास से उक्त पिस्टल बरामद हुई। साथ ही अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 7 के द्वारा घ टनास्थल का नक्शा मौका बनाया, इसके उपरान्त अभियुक्त विशाल से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के जरिये प्रदर्श पी–8 पी.डब्ल्यू 5 बंशीधर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्राप्त की गयी। जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया कि उसने जितने भी हथियार जयपुर में बेचे है, उनको चलकर बरामद करा सकता है। यद्यपि उक्त सूचना के अनुसरण में कोई बरामदगी नहीं हुई। दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 5 बंशीधर के द्वारा अभियुक्त विशाल से प्राप्त पिस्टल के आर्मोर लक्ष्मण सिंह रिपोर्ट करवाई प्रदर्श पी–11 शामिल पत्रावली की गयी। इससे पूर्व जब्तीकर्ता अधिकारी पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह के द्वारा जब्तशुदा हथियारों को जमा मालखाना किया गया, जिसके बाद प्रदर्श पी–12 पत्रावली में शामिल है, जिससे भी स्पष्ट है कि एफआईआर संख्या

109/2009 में जब्तशुदा हथियारों को जमा मालखाना करवाया गया। साथ ही अनुसंधान अधिकारी के द्वारा दौराने अनुसंधान तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कुलदीप रांका से अभियोजन स्वीकृति जरिये प्रदर्श पी–7 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। परन्तु इस प्रकरण में यह लिखा जाना उल्लेखनीय होगा कि क्या अभियुक्त विशाल से प्राप्त पिस्टल आग्नेय अस्त्र की श्रेणी में आती हैं। क्या उससे फायर किया जा सकता है ? क्या वह चालू हालत में थी ? इस संबंध में यद्यपि आर्मोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 शामिल पत्रावली है तथा आर्मोरर लक्ष्मण सिंह पी.डब्ल्यू 6 के रूप में परीक्षित हुए है जो अपनी साक्ष्य में बताता है कि दिनांक 23.03.2009 को वह पुलिस लाईन जयपुर के हैड कांस्टेबल आर्मोरर के पद पर तैनात था। उस दिन पुलिस थाना हरमाड़ा से 109/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मार्का ए, बी, सी एसएचओ साहब की तहरीर पर निर्मल कुमार कांस्टेबल के द्वारा उसके समक्ष पेश किया गया था। पैकेट मार्का ए को खोलकर देखा जिसमें एक लोकल मेड पिस्टल थी जो हथियार की श्रेणी में आती है। पिस्टल का एक्सल मैकेनिज्म सही तरीके से काम कर रहा था। यद्य पि जो मजमून रिपोर्ट प्रदर्श पी13 है उसमें रिपोर्ट में उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई जिस पर मेड इन चाईना मेगजीन वाला लोहे का हत्थे पर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ था। जबकि आर्मोरर रिपोर्ट में मेड इन चाईना का उल्लेख नहीं है। परन्तु इतने से विरोधाभाष के आधार पर अभियुक्त को कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि अभियुक्त के पास से जो पिस्टल बरामद हुई है जिसकी ताईद पी.डब्ल्यू 7 धर्मवीर सिंह जब्तीकर्ता अधिकारी तथा अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू 2 महेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू 6 रामसिंह ने अपनी साक्ष्य में की है। जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी7 का प्रश्न है कि क्या तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुये अभियोजन स्वीकृति जारी की। इस संबंध में यदि हम न्यायिक दृष्टांत **सैय्यद मोहसनी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य क्रिमिनल अपील नंबर 218/2015** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा 3 आयुध अधिनियम के तहत अपराध अभियोजन हेतु धारा 39 आयुध अधिनियम की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसी स्वीकृति के अभाव में दोषसिद्धि विधि संगत नहीं हो सकती। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में

प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जावें तो इस प्रकरण में विशाल के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अपराध हेतु प्रस्तुत आरोप पत्र में अभियोजन स्वीकृति के तथ्य को साबित करने हेतु तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पी.डब्ल्यू 7 कुलदीप को परीक्षित करवाया गया है जिन्होंने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28.04.2009 को जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर उत्तर की पत्रावली के अवलोकन के पश्चात विशाल यादव, नरेश, खुश कुमार के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का आदेश धारा 39 आर्म्स एक्ट में सक्षम अधिकारी होने के नाते उसके द्वारा जारी किया गया था। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी7 है जिस पर ए से बी हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने आर्मोरर की रिपोर्ट प्रदर्श पी11 तथा पुलिस अधीक्षक की पत्रावली के अवलोकन के पश्चात कानून का प्रावधान का अवलोकन करते हुये अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी7 जारी की। चूंकि अभियोजन स्वीकृति पर ए से बी अपने हस्ताक्षरों को पी.डब्ल्यू 7 कुलदीप के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा आयुध अधिनियम की धारा 39 के तहत मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये ही स्पिकिंग आदेश जारी करते हुये अभियुक्त विशाल के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की है जो प्रदर्श पी7 है जिसे पी.डब्ल्यू 7 कुलदीप ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है। उक्त विवेचनानुसार यह साबित है कि **अभियुक्त से दिनांक 07.03. 2009 को समय 03.45 पीएम या इसके लगभग लोहा मंडी तिराहे के पास, हरमाड़ा में उसके कब्जे से पहनी हुई पेन्ट के सामने शर्ट के नीचे एक पिस्टल मेड इन चाईना मैगजीन वाला लोहे का जिसके हत्थे पर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ बरामद किया।**

<u>आदेश</u>

11. एतद्द्वारा अभियुक्त **विशाल यादव पुत्र श्री सुरेश यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी मौहल्ला किला, पीएस बाडी, जिला धोलपुर** को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

—<u>सजा के बिन्दु पर</u>—

12. सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि का तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2009 से विचारण भुगत रहा है। अतः परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे।

13. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

14. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का दण्ड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पूर्व में कोई दोषसिद्धि का तथ्य विद्यमान नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र भी अभियुक्त द्वारा पेश किया गया है। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2009 से अंवीक्षा भुगत रहा है। अतः उपरोक्त कारणों तथा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को सीधे ही कारावास के दण्ड से दंडित नहीं किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—<u>दण्डादेश</u>—

15. एतद्द्वारा अभियुक्त **विशाल यादव पुत्र श्री सुरेश यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी मौहल्ला किला, पीएस बाडी, जिला धोलपुर** को अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के लिए दोषसिद्धि पर सीधे ही कारावास के दण्ड से दंडित नहीं किया जाकर धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 01 वर्ष की अवधि का दस हजार का बंधपत्र व प्रतिभू इस आशय का पेश कर तस्दीक करा देवे कि

वह उक्त अवधि के भीतर सदाचारी बना रहेगा, परिशांति कायम रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपसंजात होकर दंड भोगेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानानुसार अभियुक्त पर राशि 1000 / — (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं।

17. अभियुक्तगण नरेश व कुश मफरूर है। पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

17. निर्णय आज दिनांक **30.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्येन्द्र सिंह चौहान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं